बड़े गृहों को देश के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप बनाने के लिए उनके कार्यकलाप को विनियमित करेगी ।

(ख) और (ग) औद्योगिक विनियमन तथा प्रक्रिया पर इस मंत्रालय द्वारा गठित अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों के फलस्वरूप सरकार ने लाइसेंस सम्बन्धी नीति को पर्याप्त रूप से उदार बना दिया है तथा औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए छूट सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 3 करोड़ रुपये कर दी गई है ताकि कुछ क्षेत्रों को पूरा करने पर 3 करोड़ रुपये तक का निवेश करने वाले मझौले औद्योगिक उपक्रमों को निश्चित परिसम्पत्तियों में औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता न पड़े ।

Shortage of Raw Materials faced by Woollen Industry

4004. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is not a fact that woollen industry has been experiencing hardship due to adequate raw materials for manufacture of blankets to promote its export;

(b) if so, whether it is also not a fact that the industry has pleaded for import of raw materials under open general licence in place of its canalised import through STC; and

(c) if so, his reaction thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (c). Blankets are manufactured from indigenous wool, imported virgin wool, waste wool, woollen rags or a mixture of these raw materials. However, woollen rags constitute the main raw material for the manufacture of blankets.

Import of raw wool is on OGL while the import of waste wool has been banned in the ITC Policy and only REP imports of waste wool are permissible. Import of woollen rags is canalised through the STC.

Representations have been received from the industry for decanalisation of woollen rags imports. However, Government have not considered it proper to decanalise the import of woollen rags in view of the large scale import of second-hand garments into the country in 1971-72 under a misdeclaration as rags.

रूई का मूल्य

4005. श्री हुकम देव नारायण यादव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1975, 1976, 1977 और 1978 में रूई के मूल्य क्या क्या थे और इस अवधि में प्रति वर्ष रूई का कितना उत्पादन हुआ और इस अवधि में कितनी रूई और संश्लिष्ट धागा विदेशों से मंगाया गया ;

(ख) संश्लिष्ट धागे के आयात के लिए किन-किन व्यापारियों को कितने-कितने मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ग) विदेशों से धागे के आयात की अनुमति किन कारणों से दी गई जब कि देश में रूई का पर्याप्त पुराना भण्डार था ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) चूंकि रूई की अनेक किस्में हैं अतएव वर्ष 1975 से 1978 तक के लिये रूई के थोक मूल्य का सूचकांक संलग्न विवरण में दिया जाता है । विवरण में रूई के उत्पादन से सम्बन्धित ब्यौरा तथा रूई तथा संश्लिष्ट धागा के आयात विषयक ब्यौरा भी दे दिया गया है ।

(ख) आयात लाइसेंसों का ब्यौरा वीकली बुलैटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसज, एक्सपोर्ट लाइसेंसेज एण्ड इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज में प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) समझा जाता है कि उल्लिखित धागे से तात्पर्य संश्लिष्ट धागे यार्न से है । सिन्थेटिक यार्न का आयात करने की अनुमति मुख्यतः शतप्रतिशत संश्लिष्ट वस्त्रों का उत्पादन करने के लिए आर्ट सिल्क उद्योग की मांगों को पूरा करने हेतु दी जाती है ।